**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1895**

**29 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**रक्षा प्रतिष्ठानों के पास अधिशेष भूमि**

**1895. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यपः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. देश के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों के पास अधिशेष भूमि का जोन-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा विभाग की लगभग 1200 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और यह भूमि विवादित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) रक्षा विभाग की इस कीमती भूमि को अतिक्रमण-मुक्त करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर  
रक्षा मंत्री ( श्री ए. के. अन्टनी )**

(क) रक्षा मंत्रालय की अ.वि.टि. संख्या 11015/2/86 रक्षा (भूमि), दिनांक 11 जुलाई, 1986 के अनुसार किसी भी रक्षा भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया जाएगा ।

(ख) और (ग) लगभग 12363.78176 एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमण के अधीन है । अतिक्रमित रक्षा भूमि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

(घ) अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के साथ-साथ छावनी अधिनियम, 2006 के तहत की जाती है । नए अतिक्रमण की निगरानी, पहचान तथा रोकथाम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं । अतिक्रमणों की पहचान करना तथा उसको हटाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ।

**रक्षा प्रतिष्ठानों के पास अधिशेष भूमि के बारे में राज्य सभा में 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1895 के भाग (ख) और (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **रक्षा भूमि के अतिक्रमण का राज्यवार ब्यौरा** | | |
| **क्रम संख्या** | **राज्य** | **अतिक्रमण अधीन क्षेत्र (एकड़ में)** |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 0.0414 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 213.067 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 36.3 |
| 4. | असम | 616.569 |
| 5. | बिहार | 448.88 |
| 6. | चंडीगढ़ | ----- |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 165.76 |
| 8. | दादर और नागर हवेली | ----- |
| 9. | दिल्ली | 113.5997 |
| 10. | दमन और दीव | ----- |
| 11. | गोवा | 4.05 |
| 12. | गुजरात | 303.6407 |
| 13. | हरियाणा | 959.0387 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 143.9041 |
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 729.349 |
| 16. | झारखंड | 77.7 |
| 17. | कर्नाटक | 28.5819 |
| 18. | केरल | 0.0665 |
| 19. | लक्षद्वीप | ----- |
| 20. | मध्य प्रदेश | 1491.796024 |
| 21. | महाराष्ट्र | 2487.919933 |
| 22. | मणिपुर | ----- |
| 23. | मेघालय | 15.4337 |
| 24. | मिजोरम | ----- |
| 25. | नागालैंड | ----- |
| 26. | उड़ीसा | 45.5646 |
| 27. | पांडिचेरी | ----- |
| 28. | पंजाब | 495.2892 |
| 29. | राजस्थान | 367.7256 |
| 30. | सिक्किम | ----- |
| 31. | तमिलनाडु | 71.1776 |
| 32. | त्रिपुरा | ----- |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 3079.9108 |
| 34. | उत्तराखण्ड | 23.574 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 444.8423 |
|  | **कुल** | **12363.78176**  **लगभग 12363.78** |

\*\*\*\*